न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/69

मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज ग्राम फूलेता तहसील नैनवा द्वारा ग्रामवासी फूलेता जरिये :–

1. मोरपाल आत्मज नारायण गुर्जर निवासी फूलेता तहसील नैनवा (नाम तर्क) ।
2. केसरा आत्मज अम्बालाल गुर्जर निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हरजी लाल आत्मज भूरा जाति दरोगा निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. जगदीश आत्मज नारायण जाति जाट निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
5. हरजी आत्मज भूरा जाति खाती निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनारायण पि0 मुतविन्ना गणपत जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 2/1. कैलाश चन्द आत्मज रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 2/2. महावीर आत्मज रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 2/3. कैलाश बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी श्री हनुमानदास जाति बाबाजी निवासी बाछौला तहसील नैनवा ।
   - 2/4. पथूरी बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता विधवा पत्नी श्री जगदीश जाति बाबाजी निवासी मोडसा ।
   - 2/5. धापू बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी श्री भैरूदार जाति बाबाजी निवासी कोरमा ।
   - 2/6. रसाली बाई पुत्री रामनारायण जाति बाबाजी (बैरागी) निवासी फूलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी श्री महावीर निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक ।
3. बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा नैनवा जरिये शाखा प्रबन्धक ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2/1 से 2/6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.11.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम फूलेता तहसील नैनवा में कुल 06 किता की रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है । प्रतिवादी कम 02 मंदिर का पुजारी था जिसने अपने पुजारी होने का गलत फायदा उठाकर बन्दोबस्त के अधिकारियों से मिली भगत करके उक्त भूमि पर से वादी मंदिर का नाम हटवा कर बिना किसी आधार व अधिकार के उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया और उक्त भूमि प्रतिवादी कम 03 के राहिन दर्ज करवा दी । मूर्ति मंदिर नाबालिग है जिसकी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन रखने का अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि पर से प्रतिवादी कम 02 का नाम हटाया जाकर वादी मंदिर का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 03 का नाम भी उक्त भूमि पर राहिन से हटाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त मंदिर का निर्माण करीब 240 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री बालकदास जी आत्मज मोजीराम ने अपने स्वयं के खर्चे से कर मंदिर में निजी खर्चे से श्री लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति विधान पूर्वक विराजमान करवायी थी तब से ही उक्त भूमि में विराजमान मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा प्रतिवादीगण करते चले आ रहे हैं । दिनांक 21.06.2001 को वादीगण केसरा गुर्जर, हरजीलाल दरोगा, हरजी खाती अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण को मंदिर से चुराकर ले गये और हवेली के पास दरोगे के मोहल्ले में देवजी के मंदिर के पास नये भवन में ले जाकर रख दिया जिसके सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायाधीश (व0 ख0) एंव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनवा के न्यायालय में वाद संख्या 18/2006 मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज बनाम जगदीश, प्रहलाद आदि के नाम से विचाराधीन है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं है । विकल्प में धारा 10 सीपीसी के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । उक्त वाद राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है। आदेश 01 नियम 8 (2) की पालना के अभाव में भी पोषनीय नहीं है । अतः प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को सिविल प्रकृति का बताकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत है । अपीलान्ट मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है जरिये ग्राम वासियान यह वाद प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि मूर्ति मंदिर नाबालिग है । परीक्षण न्यायालय में नियुक्त उनके अभिभाषक ने अपीलान्टगण को प्रत्येक तारीख पेशी पर आने के लिए मना किया हुआ था और कहा था कि आवश्यकता होने पर बुला लेगे परन्तु उनकी ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई । दिनांक 10.03.2020 को मंदिर मूर्ति की कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट द्वारा जबरन दखलन्दाजी करने व उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज होना कहा गया और मौके पर लडाई–झगडे की स्थिति पैदा हुई । उसके उपरान्त अपीलान्टगण द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया और दिनांक 23.03.2020 को अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट ने समस्त दस्तावेज अपने अभिभाषक को सौंप दिये परन्तु उस समय समस्त भारत में लॉक डाउन लग गया । उसके बाद दिनांक लॉक डाउन में छूट मिलने पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज जरिये ग्रामवासियों के द्वारा पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के खाते में दर्ज थी। साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को खारिज किया है । पत्रावली पर सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं साक्ष्य उपलब्ध थी इसके बावजूद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे को खारिज किया गया है जबकि तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । कृषि भूमि के सम्बन्ध में काश्तकारी अधिनियम के तहत ही दावा पेश किया जा सकता है। दावे को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर मानने में त्रुटि की है । मूर्ति मंदिर के हितों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा सिविल वाद पेश किया गया था जो दिनांक 30.11.2012 को खारिज किया गया फिर भी इसके निर्णय को नजरअन्दाज किया गया है । मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसके खिलाफ विधि–विरूद्ध रूप से निर्णय पारित किया गया है । उभयपक्षीय साक्ष्य रिकॉर्ड हो चुकी थी

तनकीयात का विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । अपीलान्टगण के द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिनमें सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2012 की प्रमाणित प्रति है जिसमें रेस्पोडेन्टगण का दावा खारिज किया गया है । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.208 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्टगण की अपील खारिज की गई है और एक नामान्तरकरण संख्या 1190 की फोटो प्रति भी पेश की है । एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिनमें राजस्व मण्डल में अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 26.03.2018 के निर्णय के खिलाफ जो नजरसानी पेश की है उसकी प्रमाणित प्रति पेश की है जो कि माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है । परीक्षण न्यायालय में राजस्व मण्डल में जिस निर्णय दिनांक 26.03.2018 के आधार पर निर्णय पारित किया गया है उसके खिलाफ अपीलान्टगण की नजरसानी लम्बित है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण को मंदिर की ओर से दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज का निर्माण 240 वर्ष पूर्व रामनारायण जी और केसरदास जी के पूर्वज बालकदास के द्वारा निजी खर्चे पर करवाया गया था तब से रामनारायण एवं केसरदास और बाद में उनके वारिसान मंदिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं । सिविल न्यायालय में दावा लम्बित था ऐसी स्थिति में दावा पोषनीय नहीं था । प्रतिनिधित्व का वाद आदेश 01 नियम 08 के तहत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही पेश किया जा सकता है जिसमें आदेश 01 नियम 08 (2) के तहत सूचना दिया जाना आवश्यक होता है । आदेश 01 नियम 08 (2) की पालना नहीं होने से भी दावा मेन्टेनेबल नहीं है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.03.2018 की अनुपालना में दावा खारिज किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा इस निर्णय में प्रतिवादीगण को ही खातेदार माना गया है । माफी मंदिर की भूमि में जागीर पुनर्ग्रहण के बाद भूमि के कब्जे में जो काश्तकार होता है वो स्वतः ही खातेदार बन जाता है । वादी के द्वारा अपने दावे में वादकारण नहीं बताया गया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया जा सकता है जो कि विवादित नहीं हैं । अपीलान्ट के द्वारा जो नजरसानी पेश की गई है वो अभी एडमिट नहीं हुई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 535, आरबीजे (22) 2015 पेज 486, आरआरडी 2009–10 पेज 294, आरआरटी 2017 (1) पेज 434, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 317, डीएनजे 2014 (3) पेज 1271, आरबीजे 2017 पेज 757 उद्धरत की ।

11. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के पेश किया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को पेश किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2012 की प्रमाणित प्रति, इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2018 की प्रमाणित प्रति और नामान्तरकरण संख्या 1190 की फोटो प्रति पेश की गई हैं । पेश

किये गये दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 1190 की प्रमाणित प्रति नहीं है । शेष दोनों दस्तावेज न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण से प्रासंगिक है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 30. 11.2012 और इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2018 को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

14. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया और कथन किया कि नजरसानी अभी एडमिट नहीं हुई है और दस्तावेज सुसंगत नहीं है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

15. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में माननीय राजस्व मण्डल में की गई नजरसानी की प्रमाणित प्रति है यह दस्तावेज भी प्रकरण से प्रासंगिक है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्जावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

17. परीक्षण न्यायालय में वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी और प्रतिवादी की साक्ष्य में दिनांक 01.11.2010 को 100/– रूपये के हर्जे पर अंतिम अवसर दिया गया था इसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2011 को परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2010 के खिलाफ निगरानी पेश होने पर निगरानी को स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय को आदेश 08 नियम 01 (3) पर सुस्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था । इसके उपरान्त परीक्षण न्याालय में प्रतिवादी के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 28.08.2012 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया और पत्रावली इस प्रार्थना पत्र के बहस में चलती रही और आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु कई अवसर दिये गये इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दाव वादी खारिज किया गया । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि सिविल न्यायालय में एक दावा संख्या 18/06 लम्बित है जिसमें कि मूर्ति मंदिर के स्वामित्व आदि महत्वपूर्ण विषयों का निर्धारण होना है उसके लम्बित रहते हुए यह दावा पोषनीय नहीं है । विकल्प में धारा 10 सीपीसी के तहत इसको स्थगित करना चाहिए । साथ ही आदेश 01 नियम 08 (2) के तहत भी दावा पोषनीय नहीं होने का कथन किया गया है । प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2012 को पेश किया गया है और सिविल न्यायालय के

इस प्रकरण का निर्णय दिनांक 30.11.2012 को हो चुका है जिसमें कि दावा जो कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया था खारिज किया जा चुका है । इस दावे में प्रतिवादीगण के रूप में अपीलान्ट क्रम 1, 2, 3, 4 और 5 का नाम भी अंकित है । सिविल न्यायालय का निर्णय परीक्षण न्यायालय के निर्णय से काफी पूर्व हो चुका था जिसका हवाला भी परीक्षण न्यायालय के निर्णय में है । परीक्षण न्याालय के द्वारा अपने निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.03.2018 की फोटो प्रति के आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार माना जाकर दावे को सिविल नेचर का अंकित कर और लोक विज्ञापन के अभाव में चलने योग्य नहीं माना है जबकि परीक्षण न्याालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.032018 का हवाला नहीं दिया गया और इस निर्णय के पूर्व ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका था । ऐसी स्थिति में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनां 26.03.2018 को आधार नहीं बनाया जा सकता ।

18. जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें आरआरडी 1996 पेज 535, आरबीजे (22) 2015 पेज 486, आरआरडी 2009–10 (सप्ली0) पेज 294, आरआरटी 2017 (1) पेज 434 का प्रश्न है वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी इन नजीरों के परिप्रेक्ष्य में खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं अथवा नहीं वो दावे एवं जवाबदावे एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तनकीयात की विवेचना के उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के आधार पर नहीं । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट की यह प्रार्थना भी नहीं थी कि वो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के इस प्रावधान के तहत वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण में साक्ष्य वादी पूर्ण होने के बाद साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 01.10.2011 को अंतिम अवसर दिया गया था और पत्रावली में इसके उपरान्त सन् 2012 में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि साक्ष्य रिकॉर्ड होने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य की तनकीयात के संदर्भ में विवेचना कर निर्णय पारित किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद वादीगण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि साक्ष्य प्रतिवादी को, रिकॉर्ड पर लेकर उभयपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तनकीयात की विवेचना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के भीतर पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.12.2021 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/11/21

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा